




मरेप्र(कार्मिक)/पू.म.रेल/सोनपुर के पत्र सं०- KA/283/Mech/IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20/Pt.-I दिनांक-12.11.20 एवं मरेप्र (कार्मिक)/पूर्व मध्य रेल/धनबाद मंडल के पत्र सं० MTC/Elect(OP)/MK-DKV/11/20 दिनांक:-24.11.20 द्वारा श्री दीवाकर कुमार वर्मा, पुत्र दिलीप कुमार सिंह, सलोपा (वि.)/बरौनी सोनपुर मंडल के साथ श्री मुकेश कुमार, पुत्र श्री अशोक चौधरी, सलोपा (वि.)/पूर्व मध्य रेल/धनबाद मंडल को सलोपा लेवल-02 में निम्नतम वरीयता पर अंतर मंडलीय पारस्परिक स्थानांतरण स्वीकृत है। श्री मुकेश कुमार, सलोपा/धनबाद से मरेप्र(का०)/पूर्व मध्य रेल/धनबाद के कार्यालय आदेश सं० 336/02/IDMT of 2021 पत्रांक सं० 07/EL/ALP(E)/M.Transfer/Elect(OP)/Pt-XIV दिनांक:-03.02.2021 द्वारा विरमित होकर इस मंडल में दिनांक 04.02.2021 को पदस्थापना हेतु रिपोर्ट किये है, को सलोपा लेवल-02 में मु०कु०नि०/संयुक्त लॉबी/सोनपुर के अधीन पदस्थापित किया जाता है। इन्हें स्थानांतरण पर मिलने वाली कोई सुविधा देय नहीं है। पारस्परिक स्थानांतरण पर नियमानुसार वरीयता का लाभ देय होगा।

श्री मुकेश कुमार, पुत्र श्री अशोक चौधरी, सलोपा का अन्य सेवा विवरण हेतु मरेप्र (कार्मिक)/पूर्व मध्य रेल/धनबाद मंडल का विरमून पत्र दिनांक 03.02.2021 की छाया प्रति संलग्न है। ये दिनांक:-04.02.2021 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक कार्यालय में आदेश हेतु प्रतिक्षारत रहे है।

श्री मुकेश कुमार का फोटो, हस्ताक्षर का नमूना एवं वायें हाथ का अंगूठा का निशान सत्यापित निम्न प्रकार है।

फोटो	हस्ताक्षर का नमूना	वायें हाथ का अंगूठा निशान
		

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, सोनपुर

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, सोनपुर

उपरोक्त पदस्थापना पर वमविइ/टीआरओ का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)
सकाधि- 11

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर

सं०- KA/283/Elect(TRO)/IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20/Pt.-III

दिनांक:- 11 .02.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. मरेप्र(का०)/पूर्व मध्य रेल/धनबाद - श्री मुकेश कुमार का विधिद्वित सेवा अभिलेख नेजने की व्यवस्था करे।
02. वमविप्र/सोनपुर। 03. वमविइ (टीआरओ)/सोनपुर। 04. मु०कु०नि०/संयुक्त लॉबी/सोनपुर।
05. मु०कु०नि०/संयुक्त लॉबी/बरौनी- श्री दीवाकर कुमार वर्मा, पुत्र दिलीप कुमार सिंह, सलोपा/बरौनी को इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं० 62/2021 दिनांक 27.01.2021 द्वारा इन्हे धनबाद मंडल विरमित करने हेतु इस कार्यालय में सत्यापित पहचान, के साथ विरमित करने हेतु लिखा गया था, परन्तु अभी तक इन्हे आपके द्वारा विरमित नहीं किया गया है, इसे शीघ्र विरमित करे।
06. मुकार्याधी (बिल)/सोनपुर/बरौनी। 07. संबंधित कर्मचारी।
08. अभिलेख प्रति। 09. कार्यालय आदेश प्रति।
10. मंडल मंत्री ई०सी०आर०के०यू०, ओबीसी/अजा-अजजा, एशो०/सोनपुर मंडल।

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर